प्रेस- नोट
थाना-कोतवाली, जनपद-झाँसी

दिनांक – 11.09.2026

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा साइबर अपराध के माध्यम से धोखाधड़ी कर फर्जी बैंक खाते खुलवाकर उनमें फ्रॉड की धनराशि आहरित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही।**
- **थाना कोतवाली पुलिस द्वारा साइबर अपराध में संलिप्त 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 01 मोबाइल फोन एवं 02 बैंक पासबुक बरामद।**
- **जाँच में दोनों बैंक खातों के संबंध में कुल 11 शिकायतें प्राप्त होना तथा करीब ₹7.80 लाख की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया। साथ ही गैंग से जुड़े 07 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए, जिनके विरुद्ध अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी के कुशल मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री विकास कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 11.09.2026 को थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 259/2026 धारा 318(4)/317(5)/112(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त 1. प्रशान्त राय पुत्र श्याम सुन्दर राय, निवासी लक्ष्मीपुरम कॉलोनी, थाना कोतवाली, जनपद झाँसी, उम्र करीब 25 वर्ष को दिनांक 11.09.2026 को समय 03:35 बजे सैय्यद दूल्हे मजार, चौकी उन्नाव गेट, थाना कोतवाली, जनपद झाँसी से गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

वादी उ0नि0 श्री अनुराग सिंह द्वारा दिनांक **11.09.2026** को थाना कोतवाली पर फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त प्रशान्त राय उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त द्वारा एक गैंग के सदस्य के रूप में लोगों से धोखाधड़ी कर उनके बैंक खाते खुलवाने तथा उक्त खातों में आने वाली साइबर फ्रॉड की धनराशि को आहरित करने का कार्य किया जाना प्रकाश में आया।

अभियुक्त के कब्जे से **01 मोबाइल फोन एवं 02 बैंक पासबुक** बरामद की गईं। बरामद दोनों बैंक पासबुकों को समन्वय पोर्टल पर चेक करने पर उक्त दोनों खातों के संबंध में कुल **11 शिकायतें** प्राप्त होना तथा उनमें करीब **₹7,80,000/- की धोखाधड़ी** किया जाना प्रकाश में आया।

अभियुक्त से पूछताछ, बरामद मोबाइल फोन एवं 02 बैंक पासबुक से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर गैंग से जुड़े **07 अन्य व्यक्तियों** के नाम भी प्रकाश में आए, जिनका विवरण निम्नवत है—

1. शाहिल राय पुत्र अज्ञात, निवासी नगरा, थाना प्रेमनगर, झाँसी।
2. गिन्नी ठाकुर पुत्र अज्ञात, निवासी तालपुरा, थाना नवाबाद, झाँसी।
3. हनी राय पुत्र रामसुन्दर राय, निवासी छनियापुरा, थाना कोतवाली, झाँसी।
4. उदय लैयकर पुत्र अज्ञात, निवासी छनियापुरा, थाना कोतवाली, झाँसी।
5. अमन अख्तर (प्रथम) पुत्र अज्ञात, निवासी छनियापुरा, थाना कोतवाली, झाँसी।
6. प्रतीक उर्फ प्रियांशु पुत्र अज्ञात, निवासी पचकुइयाँ, थाना कोतवाली, झाँसी।
7. प्रिन्स राय पुत्र अज्ञात, निवासी तालपुरा, झाँसी।

उक्त प्रकरण में साक्ष्य संकलन एवं अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर प्रकाश में आए अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही विवेचक उ0नि0 अर्पित त्यागी द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई है।

अभियुक्त का विवरणः-

1. प्रशान्त राय पुत्र श्याम सुन्दर राय नि0 लक्ष्मिपुरा थाना कोतवाली थाना कोतवाली जिला झाँसी उम्र 25 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अनुराग कुमार

1.का0 बुद्धसेन